वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 16.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, जनसंदेश टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 16.07.2024

अवैध निर्माण वैध करने की जोनल अधिकारी और जेई ने रची साजिश

मंसाराम में अवैध अपार्टमेंट पर वीडीए ने शासन को भेजी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, वाराणसी: चेतगंज वार्ड के मंसाराम मुहल्ले में अवैध तरीके से बने छह मंजिला अपार्टमेंट से गिरकर सिपाही पुत्र अभिनव की मौत के मामले में विकास प्राधिकरण ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जांच में पाया गया कि तत्कालीन जोनल अधिकारी चंद्रभानु और अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह यादव ने अवैध निर्माण को गलत तरीके से शमन शुल्क कर वैध सिद्ध करने की साजिश रची। जबकि रोड बैंडिंग और सेट कवर, अतिरिक्त तल बने थे। अपार्टमेंट का एकल आवासीय मानचित्र स्वीकृत कर दिया। जोनल और जेई ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय भवन स्वामी उत्कर्ष मौर्या और बिल्डर नूर आलम को बचाने का प्रयास किया। जोनल अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि जेई अयोध्या विकास प्राधिकरण में तैनात हैं। शमन मानचित्र निरस्त करते हुए वीडीए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करता है।

चेतगंज वार्ड के मंसाराम मुहल्ले में उत्कर्ष मौर्या के जमीन पर बिल्डर नूर आलम ने छह मंजिला अपार्टमेंट बनाया है लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की है। बिल्डर की लापरवाही के चलते पुलिस कर्मी कमलेश कुमार यादव के नौ वर्षीय पुत्र अभिनव की पतंग उड़ाने के दौरान गिरने से मौत हो गई। पुलिस कर्मी की तहरीर पर चेतगंज थाने में नूर आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वहीं, वीडीए की तहरीर पर उत्कर्ष मौर्या के खिलाफ। हालत यह रही कि वीडीए अभियंता ने थाने में तहरीर देने में खेल किया। तहरीर में सिर्फ उत्कर्ष मौर्या का नाम दिया है। इसको लेकर चेतगंज पुलिस ने नाराजगी जाहिर की थी।

चेतगंज वार्ड के मंसाराम मे अवैध तरीके से बना छह मंजिला अपार्टमेंट • जागरण

विशेष सचिव ने मांगी थी रिपोर्ट

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग खुद निरीक्षण करने के साथ खाली छह फ्लैट को सील करवा दिया है। छत पर जाने वाले रास्ते को भी सील किया गया है। 27 फरवरी को विशेष सचिव ने वीडीए को पत्र जारी कर कहा है कि शासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। पूरे प्रकरण की जांच कर तत्काल आख्या उपलब्ध कराएं।

- शमन मानचित्र निरस्त कर वीडीए ने दिया ध्वस्तीकरण का आदेश
- भवन स्वामी उत्कर्ष मौर्या और बिल्डर नूर को बचाने की कोशिश

"जोनल अधिकारी चंद्रभानु और अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह यादव ने अवैध निर्माण पर गलत शमन मानचित्र स्वीकृत किया। अवैध निर्माण को वैध करने की साजिश रची। दोनों के खिलाफ कार्रवाई को शासन को रिपोर्ट भेजी गई है।
-पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए।

एकल में दिखाया यूनिट फ्लैट

वीडीए उपाध्यक्ष की ओर से नामित जांच अधिकारी संयुक्त सचिव परमानंद यादव ने बताया कि मंसाराम फाटक मे भवन सं-9/322 स्थित आराजी नंबर-449, मौजा-हबीबपुरा मे अवैध अपार्टमेंट बना है। उत्कर्ष मौर्या एवं ठेकेदार नूर आलम ने तीन मंजिल आवासीय शमन मानचित्र दाखिल किया था, मौके पर एकल आवासीय की जगह यूनिट फ्लैट था।

दैनिक जागरण–दि0 16.07.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने आठ बीघा की तोड़वाई बाउंड्री, कार्रवाई

अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार को देते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग • जागरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट पास कराए जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने सोमवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग खुद निकल पड़े। रामनगर वार्ड के थाना-अलीनगर के जीवधीपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए छह बीघा और कटारियां में दो बीघा समेत कुल आठ बीघा में अवैध प्लाटिंग की बाउंड्री को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। वहीं, उपाध्यक्ष ने घिसियारी में 26 बीघा में किए जा रहे अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार को निर्देश दिया। साथ ही प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। दशाश्वमेध वार्ड के रोहनिया दरेखु में रीता दुबे द्वारा पांच बीघा में अवैध तरीके से किए जा रहे अवैध प्लाटिंग की बाउंड्री तोड़ी गई।

गणपति अपार्टमेंट को देखा

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग कटेसर में आवेदक राम भरोसे समेत अन्य द्वारा कंपाउंडिंग (समूह आवासीय मानचित्र) कराने के लिए प्राप्त आवेदन स्वीकृत शमन मानचित्र स्टील्ट के अलावा सात फ्लोर गणपति अपार्टमेंट का निरीक्षण किया। जोनल अधिकारी व बिल्डर से अपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी ली गई।

अमर उजाला–दि0 16.07.2024

शमन मानचित्र की गलत गणना पर तत्कालीन जोनल अधिकारी और अवर अभियंता नपे

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। चेतगंज वार्ड की बिल्डिंग के अवैध निर्माण मामले की जांच में तत्कालीन अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह यादव और जोनल अधिकारी/सहायक अभियंता चंद्रभानु को दोषी पाया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। पूर्व में जारी शमन मानचित्र निरस्त करते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण करने का आदेश जारी किया गया है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि 19 फरवरी को चेतगंज मंसाराम फाटक हबीबपुरा में पतंग उड़ाते समय छठवीं मंजिल से गिरकर नौ साल के अभिनव की मौत हो गई थी। पिता पुलिस के जवान कमलेश कुमार यादव ने शिकायत की थी। र्मिाणकर्ता उत्कर्ष मौर्या और संबंधित ठेकेदार नूर आलम की ओर से जी प्लस टू के आवासीय मानचित्र का नक्शा पास कराया था। लेकिन, मौके पर नक्शे के विपरीत छह मंजिला भवन का निर्माण किया गया था। जांच संयुक्त सचिव परमानंद यादव से कराई गई थी। वीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक दोनों ने अवैध निर्माण पर न नोटिस जारी किया था और न सील की कार्रवाई की थी। शमन मानचित्र की गणना भी गलत की गई थी। पूर्व में निर्माणकर्ता व संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह यादव वर्तमान में अयोध्या विकास प्राधिकरण में तैनात हैं। जबकि, जोनल अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

जांच करते वीडीए उपाध्यक्ष। स्रोत : वीडीए

तीन जगहों पर 39 बीघा की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को तीन जगहों पर 39 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की मौजूदगी में रामनगर में वार्ड का निरीक्षण किया। अलीनगर जीवधीपुर में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अज्ञात की ओर से 6 बीघे में कटरिया और 2 बीघा चंदौली में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। जिसे ध्वस्त कराया गया। ग्राम बिसियारी में कई लोगों की ओर से 26 बीघे में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को गिराया गया। कटेसर में आवेदक राम भरोसे व अन्य की ओर से गणपति अपार्टमेंट का निरीक्षण किया। यहां समूह आवासीय मानचित्र के लिए कंपाउंडिंग कराने की हिदायत बिल्डर को दी गई। रोहनिया दरेखू में बगैर मानचित्र स्वीकृति कराए रीता दुबे की ओर से 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराया। ब्यूरो

आज–दि0 16.07.2024

१३ बीघा प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वार्ड दशाश्वमेध मौजा-दरेखू में कास्कार ने पांच बिग्घा क्षेत्रफल में प्लाटिंग विकसित करा रहा था। मौके पर पहुंचे अवर अभियंता ने भू स्वामी से मानचित्र मांगा जिसे वह दिखाने से इनकार कर दिया। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता अशोक कुमार त्यागी, प्रवर्तन दल, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और थाने की पुलिस की देखरेख में जेसीबी के माध्यम से जमीन पर हुये निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और वहां विप्रा का एक बोर्ड लगाया गया। उसके साथ ही भवन स्वामी को चेतावनी दी गयी कि बिना ले आऊट स्वीकृति के प्लौट खरीद बिक्री करने पर कानूनी कारर्वाई होगी। वार्ड रामनगर मौजा-जीवधीपुर में कास्तकारों ने छह बीघा जमीन पर प्लाटिंग करा रहा था और यहीं पर चंदौली क्षेत्र में दो बीघा जमीन पर एक अन्य व्यक्ति प्लाटिंग कर रहा था। शिकायत के आधार पर मौके पर अभियंताओं की टीम पहुंची और दोनों जमीनों पर हो रहे प्लाटिंग के विषय में आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त की। जानकारी न मिलने पर जोनल अधिकारी शिवप्रकाश कुमार, अवर अभियंता विजय सिंह, प्रवर्तन दल के कर्मचारी और सुपरवाइजर के अलावा पुलिस बल के सहयोग से जेसीबी के माध्यम से लगभग आठ बीघा जमीन पर हुये निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और विप्रा ने जमीन के समीप बोर्ड लगाकर लोगों को चेतावनी दी कि बिना ले आऊट स्वीकृति के जमीन का क्रय-विक्रय न करें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 16.07.2024

वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्यवाही को लिए जोनल अधिकारी को किया निर्देशित

वाराणसी। वार्ड-रामनगर, थाना-अलीनगर, मौजा-जीवधीपुर के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अज्ञात द्वारा लगभग 06 बीघा तथा मौजा कटारियां , जिला- चंदौली में लगभग 02 बीघा इस प्रकार कुल 08 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी,उपरोक्त स्थल पर किए

गए अवैध प्लॉटिंग को आज 15 जुलाई 2024 को उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया तथा ग्राम घिसियारी में अधिक संख्या में किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगभग 26 बीघा में विकसित अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण हेतु जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार को प्राथमिक कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष ने-कटेसर में आवेदक राम भरोसे एवं अन्य द्वारा कंपाउंडिंग (समूह आवासीय मानचित्र) कराने के लिए प्राप्त आवेदन स्वीकृत शमन मानचित्र हेतु स्टील्ट +7 फ्लोर गणपति अपार्टमेंट का निरीक्षण किया गया एवं जोनल अधिकारी व बिल्डर द्वारा अपार्टमेंट संबंधित संपूर्ण जानकारी ली गई द्य उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित बिल्डर को जल्द से जल्द कंपाउंडिंग करवाने के निर्देश दिए गए उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

हिन्दुस्तान–दि0 16.07.2024

आठ बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को रामनगर जोन के जिवधीपुर और कटारिया में दो स्थानों पर 8 बीघा में हुई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करवाया। सोमवार को निरीक्षण के दौरान वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने यह कार्यवाही की।

उन्होंने घिसियारी में 26 बीघा में हो रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्यवाही का जोनल अधिकारी को निर्देश दिया। इसके अलावा कटेसर में वीडीए उपाध्यक्ष ने एक निजी बिल्डर के अपार्टमेंट का निरीक्षण किया।

हिन्दुस्तान–दि0 16.07.2024

मंशाराम फाटक मामले में की संस्तुति

वीडीए के जोनल अधिकारी, जेई को दोषी माना

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने चेतगंज स्थित मंशाराम फाटक पर हुए अवैध निर्माण के लिए जोनल अधिकारी चंद्रभानु एवं जेई सुरेंद्र सिंह यादव को दोषी माना है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद वीडीए के उपाध्यक्ष ने दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की शासन से संस्तुति की है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार जोनल अधिकारी चंद्रभानु ने भवन स्वामी उत्कर्ष मौर्या और बिल्डर नूर आलम के लिए नियमों को नजरंदाज किया और अवैध निर्माण में मदद की। भवन स्वामी ने तीन मंजिला मकान के लिए शमन मानचित्र दाखिल किया था। उसका जेई ने 3,76,214 रुपये शुल्क तय किया।

उत्कर्ष मौर्या ने अतिरिक्त फ्लोर के साथ सेटबैक कवर करते हुए कई फ्लैटों का निर्माण करा लिया। भवन स्वामी, बिल्डर ने जोनल अधिकारी और जेई को इस कदर उपकृत कर रखा था कि बच्चे की मौत के बाद भी अवैध निर्माण पर विधिक कार्यवाही नहीं हुई। भवन में स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त हुआ निर्माण शमन कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस साल फरवरी में मंशाराम फाटक में भवन संख्या 9/322 की ऊपरी मंजिल पर पतंग उड़ाते समय एक बच्चे की नीचे गिरने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले की जांच वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने संयुक्त सचिव परमानंद यादव को सौंपी थी। पुलकित गर्ग ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ वीडीए की जीरो टालरेंस नीति के तहत जोनल अधिकारी और जेई के खिलाफ शासन में संस्तुति की गई है।

- वीडीए उपाध्यक्ष ने प्रदेश शासन को भेजा पत्र
- भवन स्वामी और बिल्डर को लाभ देने का आरोप

कई अधिकारियों की संस्तुति पर कार्रवाई नहीं

वीडीए प्रशासन ने पांच साल में अलग-अलग केस में दर्जनभर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन से की है। लेकिन अब तक किसी के खिलाफ शासन ने एक्शन नहीं लिया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा–दि0 16.07.2024

वीडीए ने अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशन में सोमवार को कई स्थानों पर प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वहीं जोनल अधिकारी को 26 बीघा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।

रामनगर वार्ड थाना- अलीनगर, मौजा-जीवधीपुर के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अज्ञात द्वारा लगभग आधा दर्जन बीघा तथा मौजा कटारियां, जिला- चंदौली में लगभग 02 बीघा इस प्रकार कुल 08 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। यहां सोमवार को उपाध्यक्ष की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। साथ ही ग्राम धिरियारी में अधिक संख्या में किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगभग 26 बीघा में विकसित अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण के लिए जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार को प्राथमिक कार्यवाही के लिए उपाध्यक्ष ने निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष ने मौजा- कटेसर में आवेदक राम भरोसे एवं अन्य द्वारा कंपाउंडिंग (समूह आवासीय मानचित्र) कराने के लिए प्राप्त आवेदन स्वीकृत शमन मानचित्र के लिए स्टील्ट +7 फ्लोर गणपति अपार्टमेंट का निरीक्षण किया एवं जोनल अधिकारी व बिल्डर द्वारा अपार्टमेंट संबंधित संपूर्ण जानकारी ली गई। उपाध्यक्ष ने संबंधित बिल्डर को जल्द से जल्द कंपाउंडिंग करवाने के निर्देश दिए।

बिल्डर को जल्द से जल्द कंपाउंडिंग कराने का दिया निर्देश

वीडीए उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारी को 26 बीघा अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करने के दिये निर्देश

इसी प्रकार विकास प्राधिकरण जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। दशाश्वमेध वार्ड थाना-रोहनिया मौजा दरेखु, के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराये रीता दुबे द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसे भी वीडीए ने ध्वस्त करा दिया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियंता अशोक कुमार त्यागी एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 16.07.2024

अवैध प्लॉटिंग पर वीडीए सख्त, कराया ध्वस्त

वाराणसी। अवैध प्लाटिंग को लेकर वीडीए इन दिनों सख्त है। अभियान चलाकर जहां जांच कर रही है ,वहीं अवैध निर्माण को ध्वस्त भी कर कारवाई भी कर रही है। इसको लेकर वीडीए प्रवर्तन दल की टीम बुलडोजर के साथ सोमवार को अचानक थाना-रोहनिया मे पहुंचा। जहां वार्ड दशाश्वमेध के दरेखु में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये रीता दुबे द्वारा लगभग पांच बीघे छेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित किये जाने को देखा और पूछताछ कर उस पर तत्काल रोक लगाई। इसी दौरान टीम ने हो रहे अवैध प्लॉटिंग को जहां ध्वस्त कराया ,वहीं निर्माणकर्ता के विरुद्ध भी कड़ी कारवाई की। इस अवसर पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियन्ता, अशोक कुमार त्यागी आदि लोग उपस्थित रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 16.07.2024

अवैध निर्माण में शामिल अफसरों पर होगी विभागीय कार्रवाई, वीडीए में मचा हड़कंप

वीसी पुलकित गर्ग ने जांच कमेटी बना उसकी रिपोर्ट पर की कार्रवाई

पुलकित गर्ग

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण प्रशासन ने सोमवार को खबर जारी कर बताया कि वार्ड-चेतगंज के मंशाराम फाटक के पास भवन सं0-9/322 स्थित आराजी सं0-449, मौजा-हबीबपुरा में अनाधिकृत निर्मित भवन की ऊपरी मंजिल से पतंग उड़ाते समय गिरकर एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गयी थी। उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग द्वारा संयुक्त सचिव परमानन्द यादव को जॉच अधिकारी नामित करते हुए जॉच करायी गयी। स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच एवं शमन मानचित्र पत्रावली में उपलब्ध फोटोग्राफ, सैटलाइट फोटोग्राफ से चेक कराने पर स्पष्ट पाया गया कि शमन गणना के समय ही मौके पर रोड वाइडनिंग एवं सेटबैक कवर करते हुए कई यूनिट फ्लैट का नव निर्माण कराया गया था एवं एक अतिरिक्त तल भी बनाया गया था, इसके बावजूद उक्त अशमनीय निर्माण एकल आवास मानते हुए शमन गणना तत्कालीन अवर अभियन्ता सुरेन्द्र सिंह यादव (तैनाती अवधि 18.08.2020 से 16.09.2021) द्वारा की गयी एवं जोनल अधिकारी चन्द्रभानु (तैनाती अवधि 31.05.2021 से 23.06.2022 एवं 13.09.2023 से 13.03.2024) द्वारा उक्त गणना को स्वीकृत करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से मांग पत्र जारी किया गया।काम बंद कराने एवं अवैध निर्माण पर विधिक कार्यवाही करने की बजाय अशमनीय निर्माण करने दिया गया एवं उसका नियम विरूद्ध शमन गणना कर दिया गया है। इन्होने कोई नोटिस जारी नहीं कराया न ही सील या ध्वस्तीकरण आदेश पारित कराया। अवैध निर्माण होने के बाद नियम विरूद्ध निर्मित उक्त अनाधिकृत निर्माण की शमन गणना भी कर दी। उक्त निर्माण के शमन मानचित्र के संस्तुतिकर्ता तत्कालीन अवर अभियन्ता सुरेन्द्र सिंह यादव दोषी पाये गये।

जोनल अधिकारी चन्द्रभानु दाखिल शमन मानचित्र की गणना स्वीकृत कर दिये एवं गणना स्वीकृति के पश्चात् भी उक्त भवन से गिरकर बालक की मृत्यु होने की घटना के समयावधि में भी उस क्षेत्र में जोनल अधिकारी रहे परन्तु उन्होंने भवन संज्ञान में होने के बाद भी उक्त अनाधिकृत भवन के विरूद्ध समय से प्रभावी कार्यवाही नहीं कराया।उपरोक्त प्रकरण में की गयी जॉच में तत्कालीन अवर अभियन्ता, सुरेन्द्र सिंह यादव एवं जोनल अधिकारी/सहायक अभियन्ता, चन्द्रभानु अवैध निर्माण के विरूद्ध समय से कार्यवाही प्रारम्भ न कराने, अनाधिकृत शमन करने सहित अवैध निर्माण कराने हेतु दोषी पाये गये एवं उनके विरूद्ध रिपोर्ट शासन में विभागीय कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। उक्त अनाधिकृत भवन को विधि विरूद्ध तरीके से किया गया, शमन मानचित्र निरस्त करते हुए अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है एवं निर्माणकर्ता व सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई है।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 16.07.2024

वीडीए वीसी की मौजूदगी में 8 बीघा अवैध प्लाटिंग हुई ध्वस्त, 26 बीघे पर कार्रवाई के दिये निर्देश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग की मौजूदगी में वाराणसी विकास प्राधिकरण, जोन-5 की प्रवर्तन टीम ने कुल 8 बीघा अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया तथा 26 बीघा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्यवाही के लिए जोनल अधिकारी को निर्देशित किया।

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने निरीक्षण के दौरान अवैध प्लाटिंग कराया ध्वस्त

नवार्ड-रामनगर, थाना- अलीनगर, मौजा-जीवधीपुर के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अज्ञात द्वारा लगभग 06 बीघा तथा मौजा कटारियां , जिला- चंदौली में लगभग 02 बीघा इस प्रकार कुल 08 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किए गए अवैध प्लॉटिंग सोमवार को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया तथा ग्राम घिसियारी में अधिक संख्या में किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगभग 26 बीघा में विकसित अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण हेतु जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार को प्राथमिक कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष द्वारा मौजा- कटेसर में आवेदक राम भरोसे एवं अन्य द्वारा कंपाउंडिंग (समूह आवासीय मानचित्र) कराने के लिए प्राप्त आवेदन स्वीकृत शमन मानचित्र हेतु स्टील्ट + 7 फ्लोर गणपति अपार्टमेंट का निरीक्षण किया गया एवं जोनल अधिकारी व बिल्डर द्वारा अपार्टमेंट संबंधित संपूर्ण जानकारी ली गई। संबंधित बिल्डर को जल्द से जल्द कंपाउंडिंग करवाने के निर्देश दिए।

न्यायाधीश—दि0 16.07.2024

उपाध्यक्ष वाविप्रा की उपस्थिति में कुल 08 बीघा अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया

वाराणसी। वाविप्रा जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा उपाध्यक्ष की उपस्थिति में कुल 08 बीघा अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया तथा 26 बीघा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।इस क्रम मेंवार्ड-रामनगर, थाना- अलीनगर, मौजा-जीवधीपुर के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अज्ञात द्वारा लगभग 06 बीघा तथा मौजा कटारियां , जिला- चंदौली में लगभग 02 बीघा इस प्रकार कुल 08 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी , उपरोक्त स्थल पर किए गए अवैध प्लॉटिंग को आज 15 जुलाई 2024 को उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया तथा ग्राम घिसियारी में अधिक संख्या में किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगभग 26 बीघा में विकसित अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण हेतु जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार को प्राथमिक कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मौजा- कटेसर में आवेदक राम भरोसे एवं अन्य द्वारा कंपाउंडिंग (समूह आवासीय मानचित्र) कराने के लिए प्राप्त आवेदन स्वीकृत शमन मानचित्र हेतु स्टील्ट ε 7 फ्लोर गणपति अपार्टमेंट का निरीक्षण किया गया एवं जोनल अधिकारी व बिल्डर द्वारा अपार्टमेंट संबंधित संपूर्ण जानकारी ली गई ।उपाध्यक्ष द्वारा संबंधित बिल्डर को जल्द से जल्द कंपाउंडिंग करवाने के निर्देश दिए गए ।

न्यायाधीश—दि0 16.07.2024

अनाधिकृत निर्मित भवन का शमन मानचित्र निरस्त करते हुए अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित

वाराणसी।वार्ड-चेतगंज के मंशाराम फाटक के पास भवन सं0-9/322 स्थित आराजी सं0-449, मौजा-हबीबपुरा में अनाधिकृत निर्मित भवन की ऊपरी मंजिल से पतंग उड़ाते समय गिरकर एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गयी थी। प्रकरण में निर्माणकर्ता श्री उत्कर्ष मौर्या पुत्र श्री राजेश कुमार मौर्या एवं सम्बन्धित ठेकेदार नूर आलम के द्वारा जी+2 तल के आवासीय शमन मानचित्र को दाखिल किया गया था, जिसकी गणना अवर अभियन्ता द्वारा करते हुए रू0 3,76,214/- का मांग पत्र जोनल अधिकारी द्वारा अनुमोदित करते हुए दिनांक 27.09.2021 को जारी किया गया। मौके पर विचलन करते हुए अतिरिक्त तल का निर्माण रोडवाइडनिंग एवं सेटबैक कवर करते हुए एकल आवास की जगह कई यूनिट फ्लैट का निर्माण किया गया था।प्रकरण में उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग द्वारा संयुक्त सचिव परमानन्द यादव को जॉच अधिकारी नामित करते हुए जॉच करायी गयी। स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच एवं शमन मानचित्र पत्रावली में उपलब्ध फोटोग्राफ, सैटलाइट फोटोग्राफ से चेक कराने पर स्पष्ट पाया गया कि शमन गणना के समय ही मौके पर रोड वाइडनिंग एवं सेटबैक कवर करते हुए कई यूनिट फ्लैट का नव निर्माण कराया गया था एवं एक अतिरिक्त तल भी बनाया गया था, इसके बावजूद उक्त अशमनीय निर्माण एकल आवास मानते हुए शमन गणना तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गयी एवं जोनल अधिकारी श्री चन्द्रभानु द्वारा उक्त गणना को स्वीकृत करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से मांग पत्र जारी किया गया।काम बंद कराने एवं अवैध निर्माण पर विधिक कार्यवाही करने की बजाय अशमनीय निर्माण करने दिया गया एवं उसका नियम विरूद्ध शमन गणना कर दिया गया है। इन्होने कोई नोटिस जारी नहीं कराया न ही सील या ध्वस्तीकरण आदेश पारित कराया। अवैध निर्माण होने के बाद नियम विरूद्ध निर्मित उक्त अनाधिकृत निर्माण की शमन गणना भी कर दी। उक्त निर्माण के शमन मानचित्र के संस्तुतिकर्ता तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेन्द्र सिंह यादव दोषी पाये गये। जोनल अधिकारी श्री चन्द्रभानु दाखिल शमन मानचित्र की गणना स्वीकृत कर दिये एवं गणना स्वीकृति के पश्चात् भी उक्त भवन से गिरकर बालक की मृत्यु होने की घटना के समयावधि में भी उस क्षेत्र में जोनल अधिकारी रहे परन्तु उन्होंने भवन संज्ञान में होने के बाद भी उक्त अनाधिकृत भवन के विरूद्ध समय से प्रभावी कार्यवाही नहीं कराया।उपरोक्त प्रकरण में की गयी जॉच में तत्कालीन अवर अभियन्ता, सुरेन्द्र सिंह यादव एवं जोनल अधिकारी/सहायक अभियन्ता, चन्द्रभानु अवैध निर्माण के विरूद्ध समय से कार्यवाही प्रारम्भ न कराने, अनाधिकृत शमन करने सहित अवैध निर्माण कराने हेतु दोषी पाये गये एवं उनके विरूद्ध रिपोर्ट शासन में विभागीय कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। उक्त अनाधिकृत भवन को विधि विरूद्ध तरीके से किया गया, शमन मानचित्र निरस्त करते हुए अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है एवं निर्माणकर्ता व सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई है।